पारदर्शिता और जवाबदेही का विधि मंत्र : सामाजिक अंकेक्षण
AM view
लोकतांत्रिक नागरिक कर्तव्य निर्वहन का एक प्रयास
Auditing & Monitoring View
Mo : [illegible] Email : malusare9@gmail.com

ॐ सरस्वत्यै नमः

नियोजित कर्मियों द्वारा निजी विश्वविद्यालय से प्राप्त शैक्षणिक आहर्ता एवं कौशल प्रमाण पत्र की जाँच बाबत ध्यानाकर्षण प्रतिवेदन

पत्र क्रमांक – छ.ग.रा.सह.अपेक्स बैंक/जितेन्द्र/शिकायत   दिनांक 17/12/2025

प्रति,

श्रीमान प्रबंध संचालक

कार्यालय छ.ग.राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, रायपुर (अपेक्स बैंक)

मुख्यालय "सहकार भवन" प्लाट नं 74, सेक्टर 24, अटल नगर नवा रायपुर

विषय : शासकीय मान्यता प्राप्त शैक्षणिक आहर्ता के आधार पर बैंक कर्मियों की नियुक्ति किये जाने की सुनिश्चितता के लिए यह शिकायत प्रस्तुत है वास्ते आपके कार्यालय या अधीनस्थ जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक कार्यालय में सेवारत कर्मी श्री जितेन्द्र देवांगन आत्मज श्री सत्यनारायण देवांगन का आपके कार्यालय या अधिनस्तस्थ किसी बैंक कार्यालय में नियोजित किये जाने की अनियमित स्थिति और उनके शैक्षणिक योग्यता आहर्ता एवं अन्य वांछित कौशल प्रमाण पत्र की विधि मान्य वैद्यता का नियमानुसार विभागीय परीक्षण किए जाने विषयक निवेदन बाबत

महोदय,

निवेदन है कि, आपके कार्यालय द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 कि धारा 4 की जानकारी का प्रकाशन प्रसारण नहीं किए जाने से आपके कार्यालय में सेवारत कर्मियों की विधि अपेक्षित शैक्षणिक एवं कौशल आहर्ता की सुनिश्चितता विषयक शंकास्पद स्थितियों एवं आरोपों की विधि अपेक्षानुसार प्रशासकीय निराकरण कार्यवाही आपके स्तर से निराकृत किए जाने के एकाधिकार का विधि विरुद्ध विषय बन गया है | जो कि, अब आपके नियंत्रण और प्रशासकीय इच्छा पर निर्भर है। **जिससे इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि, आपके कार्यालय की नियोजन कार्यवाही विषयक आपत्तिजनक परिस्थिति बनी हुई है तथा आपके कार्यालय में विधि द्वारा वांछित आहर्ता प्राप्त कर्मियों का नियोजन विधि अपेक्षित शैक्षणिक और अतिरिक्त कौशल के मापदंडों के आधार पर नहीं किया गया है।**

उल्लेखनीय है कि, आपके कार्यालय में नियोजित कर्मियों की संख्या व उनके पद क्रम / पद क्रमोन्नति की स्थिति भी पारदर्शिता के आभाव में गड़बड़ियां करने के निरंकुश-निर्णायक अवसर प्राप्त स्थिति में है | जिससे इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि, आपके कार्यालय में नियोजन कार्यवाही करने वाला प्रशासकीय तंत्र बड़ी गड़बड़ियाँ कर रहा है।

उपरोक्त आरोप कारित स्थिति का संज्ञान करवाते हुए निवेदन है कि, प्राप्त जानकारी के अनुसार एक उदहारण श्री जितेन्द्र देवांगन आत्मज श्री सत्यनारायण देवांगन के शैक्षणिक योग्यता,

एवं अन्य आहर्ता प्रमाण पत्र की वैद्यता विषयक शंकास्पद स्थिति को पारदर्शिता के दायरे में नहीं लाए जाने के कारण विधिक चुनौती दिए जाने की कार्यवाही विषयक आधारभूत दस्तावेज और जानकारी अभिप्राप्त करने की व्यवहारिक सुविधा को विधि विरुद्ध कार्य व्यवहार से बाधित कर दिया गया है ।

इसलिए निवेदन है कि, विषयांतर्गत उल्लेखित अवांछित विधिक परिस्थितियों का संज्ञान लेकर श्री जितेन्द्र देवांगन आत्मज श्री सत्यनारायण देवांगन के शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य आहर्ता प्रमाण पत्र की वैद्यता का परीक्षण आपके कार्यालय स्तर से किया जाना विधि अपेक्षित है । जिससे कि, योग्य व वांछित आहर्ता प्राप्त कर्मियों का नियोजन किए जाने की सुनिश्चितता कर बैंकिंग विधि का अनुपालन किया जाना संभव हो सकेगा ।

उक्तानुसार अपेक्षित है कि, आप श्री जितेन्द्र देवांगन आत्मज श्री सत्यनारायण देवांगन के शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य आहर्ता प्रमाण पत्र की वैद्यता का परीक्षण संबंधित शैक्षणिक संस्थानों एवं अतिरिक्त कौशल प्रमाण पत्र प्रदान करने वाले संस्थानों से करवाकर कार्यालयीन स्तर की वैद्यता परीक्षण कार्यवाही से सुनिश्चिता करने का कष्ट करेंगे ।

-:ध्यानाकर्षण:-

छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में अध्ययनरत रहकर नियमतः शैक्षणिक आहर्ता एवं कौशल प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का शासकीय एवं अर्धशासकीय कार्यलयों में नियोजित होकर शासकीय सेवा देने के अधिकार पर, **"निजी विश्वविद्यालयों से फर्जी शैक्षणिक आहर्ता एवं कौशल प्रमाण पत्र प्राप्त कर अनियमित तरीके से हासिल करने वाले लोग"** अतिक्रमण कर रहे हैं | जिसके निराकरण के लिए आवश्यक है कि, जो लोग निजी विश्वविद्यालयों से शैक्षणिक आहर्ता प्रमाण पत्रों और कौशल प्रमाण पत्रों के आधार पर नियोजित किये गए हैं | **"ऐसे लोगो के प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रति उसी नियोजित कर्मी से उसके पद नाम से आवेदन करवाकर कर"**, निजी विश्वविद्यालय मे हासिल किया जाना चाहिए | जिससे की वस्तुस्थिति स्पष्ट हो सके |

अतः निवेदन है कि, विषयांतर्गत उल्लेखित प्रतिवेदन स्वीकृत कर आपके कार्यलय के कार्य क्षेत्र के अधीन सेवारत कर्मियों की अनियमितता की उक्त शिकायत विषयक गंभीर मामले पर विधि अपेक्षानुसार संज्ञान लेकर न्यायसंगत प्रशासकीय कार्यवाही करने का कष्ट करें |

अपेक्षित है कि, आप उक्त शिकायत विषय का संज्ञान लेंगे व न्यायहित की कार्यवाही करेंगे |

संज्ञानकर्ता अमोल मालुसरे

निवासी :- 119/1 सिद्धनाथ वाडी, शहर वाई,
तालुका वाई, जिला सातारा महाराष्ट्र
पिन कोड 412803 मो. 9752396665